

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरदोई।

संख्या C-686 / जि०का०अ० / नियुक्ति / 2021-22

दिनांक 16 अगस्त 2021

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद हरदोई में ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री/मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की भर्ती हेतु वेबसाईट [http://: balvikasup.gov.in](http://balvikasup.gov.in) पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2021 से भरे जा रहे हैं। जो आवेदिकायें ऑनलाईन आवेदन पत्र कर रही हैं वह आवेदन पत्र की मूल प्रति सभी संलग्नों को स्व प्रमाणित करते हुये एक सेट विकास भवन हरदोई में प्रथम मंजिल पर स्थित कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी हरदोई में (प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे) कार्यवधि में जमा करें तथा उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त करें। यदि किसी आवेदिका द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया है किन्तु आवेदन पत्र का एक सेट कार्यालय में जमा नहीं किया गया है तो ऐसे आवेदन पत्रों को अमान्य/निरस्त की श्रेणी में रखा जायेगा इसी प्रकार यदि किसी आवेदिका द्वारा आवेदन कार्यालय में जमा किया जाता है किन्तु ऑनलाईन आवेदन नहीं भरा जाता है तो ऐसे आवेदन पत्र भी अमान्य/निरस्त की श्रेणी में माने जायेंगे।

Buddhi
(बुद्धि मिश्रा)

9/c जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हरदोई।

पृष्ठांकन संख्या C-686 / तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1-मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हरदोई को अवलोकनार्थ।
- 2-सम्पादक, समाचार पत्र दैनिक जागरण /अमर उजाला जनपद हरदोई को इस आशय से कि उक्त का प्रकाशन समाचार पत्र में कराकर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करें।

Buddhi
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हरदोई।

6/c

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरदोई ।

संख्या 656/जि0का0अ0/नियुक्ति/2021-22

दिनांक 12 अगस्त 2021

प्रेस विज्ञप्ति

(ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री/मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के रिक्त पदों हेतु मानदेय पर भर्ती)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 11/2021/388/58-1-2021/1(22)10 टी0सी0 दिनांक 29.01.2021 के प्राविधानों के अनुसार जनपद हरदोई में ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार पद रिक्त हैं, जिन पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु रिक्त पदों की संख्या	ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु रिक्त पदों की संख्या	सहायिका पद हेतु रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	बावन	2	18	25
2	बेहन्दर	2	26	11
3	कोथावा	10	47	51
4	कछौना	0	41	27
5	माधौगंज	0	11	16
6	मल्लावा	0	10	17
7	बिलग्राम	2	43	65
8	पिहानी	2	49	52
9	हरियावां	0	10	13
10	हरपालपुर	4	11	6
11	भरखनी	7	11	10
12	भरावन	2	8	17
13	शहर	0	6	18
14	शाहाबाद	3	20	17
15	सपंडीला	2	17	18
16	साण्डी	2	9	8
17	सुरसा	0	18	28
18	अहिरोरी	3	41	64
19	टडियावां	3	14	14
20	टोडरपुर	2	11	17
	योग	46	421	494

उपरोक्त पदों का ग्रामसभावार, वार्डवार रिक्त पदों का विवरण आरक्षण तथा अर्हता की शर्तें विभागीय वेबसाइट <http://balvikasup.gov.in> पर अपलोड कर दिया गया है एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, व सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी, तहसील तथा विकास खण्ड के सूचना पट पर चरपा है।

विशेष निर्देश

- उक्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होगी और आवेदन केवल ऑनलाइन <http://balvikasup.gov.in> पर किया जायेगा।
- ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं सहायिका पद हेतु कक्षा 05 उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- आयु सीमा:-न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अर्ह सहायिकाओं द्वारा कार्यकर्त्री के पद पर आवेदन किये जाने की स्थिति में अधिकतम 50 वर्ष अर्हता आयु है। आयु के सम्बन्ध में शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र मान्य होंगे आयु की गणना दिनांक 01.01.2021 से मानी जायेगी।
- आवेदिका को रिक्त पद के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। निवास व आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

Budhi

5. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी। परित्यक्ता का तात्पर्य है कि सी0आर0पी0सी0की धारा-125 के तहत परिवाद दाखिल किया गया हो, अथवा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-9 के तहत याचिका दाखिल की गयी हो।
6. उक्त चयन प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित वार्ड की एवं आरक्षित वर्ग की 50 वर्ष की अर्हकारी सेवा तथा 50 वर्ष से कम आयु की हाईस्कूल उत्तीर्ण अर्ह सहायिका को सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसके लिए सहायिका पद पर नियुक्ति आदेश की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा तदोपरान्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी। गरीबी रेखा का मानक ग्रामीण क्षेत्रों में रू0- 46080.00 तथा शहरी क्षेत्र में रू0- 56400.00 प्रति परिवार वार्षिक आय होगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अभ्यर्थी के पात्र न होने की स्थिति में गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के आवेदन पत्र पर मेरिट के आधार पर विन्दु संख्या 06 के अनुरूप विचार किया जायेगा।
7. एक ही श्रेणी के एक से अधिक पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जायेगी, जिसमें हाईस्कूल, इण्टर तथा स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसे उसका अंक मानते हुए कुल प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारित किया जायेगा। इससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिये जायेंगे। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाली महिला को वरीयता प्रदान की जायेगी।
8. ऑनलाइन आवेदन करने की **अन्तिम तिथि 03.09.2021** होगी।
9. उपरोक्त पदों की अर्हता आवेदन की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट <http://balvikasup.gov.in> का अवलोकन करें, तथा नियुक्ति शासनादेश डाउनलोड ठीक प्रकार से पढ़कर करें, अथवा बाल विकास परियोजना/जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर लें। ताकि अभ्यर्थिनी द्वारा त्रुटिरहित आवेदन पत्र अपलोड हो।
10. चयन की प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट पर आधारित पारदर्शी तरीके से होगी तथा किसी भी चयन को निरस्त किये जाने का अधिकार चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी में निहित है।
11. चयनित अभ्यर्थी को एक सप्ताह के भीतर अपने सभी दस्तावेज मूलरूप में चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने की दशा में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
12. ऑनलाइन आवेदन पत्र में लगाए गए सभी प्रमाण-पत्रों को सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित किया जायेगा तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सभी पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किये जायेंगे, ऑफलाइन आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये नहीं किये जायेंगे।
13. शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिज आरक्षण 4 प्रतिशत एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को क्षैतिज आरक्षण 2 प्रतिशत समुचित प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन करने पर उसी श्रेणी में देय होगा, जिस वर्ग के लिए पद आरक्षित है।
14. एस0टी0वर्ग का कोई अभ्यर्थी एस0सी0वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर आवेदन कर सकता है।

(बुद्धि मिश्रा)

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हरदोई।

पृष्ठांकन संख्या / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक महोदय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, हरदोई।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हरदोई।
4. समस्त उप जिलाधिकारी महोदय, सदर, सवायजपुर, शाहाबाद, बिलग्राम एवं सण्डीला।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हरदोई।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद हरदोई को इस निर्देश के साथ व सभी रिक्त पदों का आरक्षण सहित विवरण तहसील, विकास खण्ड, सी0एच0सी0 तथा अपने कार्यालय में चस्पा करें, एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
7. सहायक निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हरदोई को इस अनुरोध के साथ कि दो दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क अथवा न्यूनतम स्पेस में शासकीय दर पर विज्ञापित प्रकाशन कराये जाने का कष्ट करें।

Buddhi:
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हरदोई।